FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 22/08/2019 14:28 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/08/2019 **Time (समय):** 14:28 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 22/08/2019 14:28 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 5 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): नगर निगम एन आई टी फरीदाबाद ।,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Bijender singh

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/09/1980 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**STATE VIGILANCE BUERO FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**STATE VIGILANCE BUERO FBD, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री राजेन्द्र गर्ग			1. तहसीलदार फरीदाबाद ।,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
2	अजय गुप्ता			1. हार्डवेरयर चौक फरीदाबाद ।,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
3	बिजेन्द्र राणा			1. तहसीलदार फरीदाबाद ।,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
4	जितेन्द्र सिंह योजना साहयक			1. फरीदाबाद ।,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
5	श्री आर पी सिंगला			1. वरिष्ठ नगर योजनाकार फरी0, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
6	श्री सतीश पारासर			1. मुख्य नगर योजनाकार फरी0, FARIDABAD,HARYANA,INDIA
7	श्रीमती सुमन वर्मा			1. 1687,सैक्टर 21 सी0 फरीदाबाद ।,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
8	श्री पुष्पेन्द्र वर्मा		Father's Name: R.S वर्मा	1. 1687,सैक्टर 28 फरीदाबाद ।,FARIDABAD,HARYANA,INDIA

9	श्री प्रशान्त शर्मा		Father's Name: डा0 एस पी शर्मा	1. A/1,इन्द्र प्रस्थ कालोनी,सोनीपत रोड रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
10	श्री अशोक वर्मा		Father's Name: साधुराम	1. 7/L,माडल टाऊन रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
11	नितिन वर्मा		Father's Name: अशोक वर्मा	1. 7/L,माडल टाऊन रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
12	श्री विनोद बंसाली		Father's Name: पुखराज बंसाली	1. D/42,सैक्टर 10 फरीदाबाद I,SECTOR - 8,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
13	संजय बंसाली		Father's Name: पोखराज बंसाली	1. D/42,सैक्टर 10 DLF फरीदाबाद I,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
14	अभय बंसाली		Father's Name: पोखराज बंसाली	1. D/42,सैक्टर 10 DLF फरीदाबाद I,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
15	विनोद देवी		Father's Name: चैनरुप कुन्डलिया	1. 1588,सैक्टर 7 फरीदाबाद I,SECTOR - 8,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
16	वेद सिंह			1. नायब तहसीलदार फरीदाबाद I,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
17	विनोद सिंह			1. साहयक इन्जिनियर,नगर निगम फरी0 I,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
18	दयाकिशन सोलंकी			1. जुनियर इन्जिनियर,फरीदाबाद I,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
19	राजेश नदन			1. ड्राफटस मैन,फरीदाबाद I,FARIDABAD,HARYANA,INDIA
20	सतीश अग्रवाल			1. कर्मचारी अभियन्ता,नगर निगम फरी0, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11.

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में थाना प्रबन्धक अफसर राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। श्रीमान जीजांच क्रमांक01 दिनांक 06.01.2015 फरीदाबाद मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ कार्यालय के यादि क्रमांक 62/113/2014- चौ (II) दिनांक 05.01.2015 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो,हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पृष्ठक्रमांक 364/आई0-4/राOचौOब्यूO(हO)दिनांक 06.01.2015 के अनुसारदर्ज रजिस्ट्रर की जाकर पडताल हेतु राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम में प्राप्त हुई थी । जिसकी पडताल श्री रतन दीप सिह बाली ,उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद द्वारा पूर्ण की गई है । आरोप की पडताल के दौरान पाया गया कि भारत सरकार ने एन.ई.टी फरीदाबाद की जो भूमि अधिग्रहण की गई थी,उस मे से इण्डियन हार्डवेयर इण्डस्ट्रिजलि0 एन.ई.टी फरीदाबाद को एक ओघोगिक प्लाट रकबा 4.17 एकड व रिहायसी प्लाट रकबा 3.62 एकड जिसमें बिल्डिग केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई थी ,एक लीज अग्रीमेन्ट दिनांक 23.09.1954 के अनुसार 5 साल के लिए पट्टे पर दिया गया था । परन्तु उसके पश्चात उक्त कम्पनी द्वारा पट्टा दोबारा से रिन्यू नही कराया गया । यह भूमि दिनांक 31.3.81 को भारत सरकार से हरियाणा सरकार पुर्नवास विभाग के नाम स्थानान्तरित की गई । उसके पश्चात भी हरियाणा सरकार पुर्नवास विभाग द्वारा इस पट्टे के बारे में कोई कर्यवाही अमल में नही लाई गई ना तो इस पट्टे को निरस्त किया गया और ना ही उक्त कम्पनी को बे-दरखल करने की कार्यवाही की गई ,बल्कि उक्त कम्पनी से वर्ष 1995 तक लीज रैंट की राशि ली जाती रही । आई.एच.आई कम्पनी ने 3.62 एकड भूमि अन्तरण करने बारे दिनांक18.7.2011 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार पुर्नवास फरीदाबाद के सम्मुख दिया गया । इसके पश्चात आई.एच.आई कम्पनी ने एक सिविल रिट पैटिशन न07633 आफ 2013 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जिसमें दिनांक 09.04.2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने रिट पटीशन का निपटारा इस आदेश के साथ किया कि याचिकाकर्ता के दिनांक 18.07.2011 के प्रतिवेदन पर नियमानुसार निर्णय शीघ्रता से चार माह में किया जाए । श्री बलवान सिह उप तहसीलदार पुर्नवास विभाग फरीदाबाद ने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा चण्डीगढ के आदेश दिनांक 09.04.2013 की पालना करते हुये इस केस में अपना फैसला दिनांक 19.07.13 को दिया। जिस में 4586 वर्गगज भूमि पर इण्डियन हार्डवेयर कम्पनी का कब्जा मानते हुये अन्तरण के आदेश दिये गये । जबकि इस आदेश के बारे में श्री बलराज सिह भा.प्र.से,उपायुक्त एंव आयुक्त बिक्री फरीदाबाद ने अपने फैसले दिनांक 10.09.13 में उक्त रकबा मे से केवल 226.13 वर्ग गज पर ही उक्त कम्पनी का कब्जा माना । जिस सम्बन्ध में उक्त कम्पनी द्वारा श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,आयुक्त गुडगांव मण्डल गुडगांव की अदालत में एक रिविजन दायर की गई । जिसके फैसले दिनांक 18.11.13 के अनुसार श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद के फैसले को सही माना गया । जिसके अनुसार उक्त कम्पनी के नाम 4586 वर्ग गज अन्तरण करने के आदेश दिये गये थे और उपायुक्त एंव आयुक्त बिक्री के फसैले को त्रृटि पूर्ण मानते हुये रद्द किया गया था । श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,के फैसला दिनांक 18.11.13 के बाद आई.एच.आई कम्पनी के नाम 4586 वर्ग गज भूमि की रजिस्ट्री न0 14714 दिनांक 21.01.14 के अनुसार श्री बिजेन्द्र राणा तहसीलदार फरीदाबाद द्वारा उक्त रकबा की वसीका पंजीकृत कर दी । तथा वसीका न0 14714 दिनांक 21.01.14 पंजीकृत होने के पश्चात उसी दिन वसीका न0 14737 दिनांक 21.01.14 को 9व्यक्तियो के नाम 6 टुकडो में अलग-2,रकबा अनुसार श्री बिजेन्द्र सिह राणा तहसीलदार द्वारा पंजीकृत की गई है । इसके पश्चात आई.एच.आई कम्पनी के निदेशक श्री अजय गुप्ता के नाम से दितीय रिविजन पैटिसन श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,आयुक्त मण्डल गुडगांव की अदालत मे बाकि बची हुई भूमि उक्त कम्पनी के नाम अन्तरण करने बारे डाली गई । जिस बारे दिनांक 04.7.14 को फैसला में श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,द्वारा निम्न न्यायालयो के फैसलो का अपास्त करते हुये यह केस उक्त तहसीलदार पुर्नवास फरीदाबाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्राथी कम्पनी को सुनवाई व गवाही का पुरा अवसर देते हुये गुण दोष के आधार पर निर्णय करे । यंहा यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,द्वारा प्रथम रिविजन में श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार सैल्स फरीदाबाद के फैसले को किस आधार पर सही माना तथा 8 माह के अन्दर दितीय रिट पैटिसन में किस आधार पर अपास्त पर दिया इस बारे में अपने फैसले दिनांक 04.07.2014 में स्पष्ट वर्णन

नही किया जो यह हालात सन्दिग्ध प्रतीत होते है । इसके अतिरिक्त श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,द्वारा निम्न न्यायालयो के आदेशो को अपास्त कर दिया गया था,जिसमें श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार पुर्नवास फरीदाबाद का फैसला दिनांक 19.07.13 जिसमें इण्डियन हार्डवेयर कम्पनी के नाम 4586 वर्ग गज भूमि अन्तरण करने के आदेश किये हुये थे को भी अपास्त किया गया था,तो उस सुरत में राजस्व विभाग/उपायुक्त फरीदाबाद द्वारा वसीका न0 14714 दिनांक 21.01.14 व 14737 दिनांक 21.01.14 को कैन्सिल कराने बारे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जानी उचित थी । श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,द्वारा निम्न न्यायालयो के आदेशो को अपास्त करते हुये रिमाण्ड के लिए उप तहसीलदार पुर्नवास फरीदाबाद के पास निर्देशो अनुसार भेजा था । परन्तु श्री राजेन्द्र सिह गर्ग तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद द्वारा इस केस की सुनवाई के दौरान श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार पुर्नवासफरीदाबाद के फैसले अनुसार 4586 वर्ग गज भूमि जो आई.एच.आई कम्पनी के नाम अन्तरण की गई थी के फैसले को ही सही मान लिया । इसके अतिरिक्त अपने फैसले दिनांक 13.10.14 मे प्रार्थी कम्पनी को3426 वर्ग गज भूमि पर कब्जा मानते हुए अन्तरण के आदेश पारित किये गये । यंहा यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,द्वारादूसरी रिविजन में निम्न दोनो न्यायालयो के फैसलो को अपास्त करते हुये स्पष्ट रुप से यह वर्णन नही किया कि श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार सैल्स के फैसले को इस आधार पर अपास्त करता हू । जिसका फायदा उठाते हुये,श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार फरीदाबाद द्वारा भी तथ्यो/हालातो को नजर अन्दात करते हुये श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार के फैसले को ही सही मान लिया । इसके अतिरिक्त आई.एच.आई कम्पनी द्वारा जो लीज रैंट से सम्बन्धित रसीदे,बिजली का बिल व हाउस टैक्स की जो रसीदे प्रस्तुत की गई थी । उन बारे सम्बन्धित विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को सुनवाई के दौरान पूछताछ की गई होती कि जब आई.एच.आई कम्पनी सरकारी जमीन पर लीज रैंट पर है तो उस सुरत में हाउस टैक्स प्रोपर्टी के मालिक ने नाम पर जमा होना चाहिए या फिर किरायेदार के नाम पर इसके अतिरिक्त हाउस टैक्स की फीस व लीज रैंट की फीस प्रत्येक वर्ष जमा की गई या फिर उक्त कम्पनी द्वारा एक बार में ही फीस जमा करा कर अपने साक्ष्य अपने पक्ष के लिए इक्ठठे किये है । श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार द्वारा 3426 वर्ग गज भूमि पर उक्त कम्पनी का केवल अपनी मौका निरीक्षण रिपोर्ट व श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार पुर्नवास के फैसले का ही वर्णन करके 3426 वर्ग गज भूमि पर भी उक्त कम्पनी का कब्जा मान लिया और अन्तरण करने के आदेश पारित कर दिये । जबकि श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से,आयुक्त गुडगाव मण्डल गुडगांव ने अपने आदेश में उक्त तहसीलदार पुर्नवास फरीदाबाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रार्थी कम्पनी को सुनवाई व गवाही का पूर्ण अवसर देते हुये तथा सभी दस्तावेजो का भली-भांति अवलोकन करने उपरान्त केस का पुन: गुण दोष के आधार पर निर्णय करे । यंहा यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार फरीदाबाद के पास यह केस रिमाण्ड हेतु दिनांक 04.07.14 को भेजा गया था और इसका फैसला श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार द्वारा अत्याधिक तत्परता दिखाते हुये केवल 3महीने के अन्दर-2 ही सुना दिया गया । श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार बिक्री के आदेशो के उपरान्त उक्त कम्पनी द्वारा 20 प्रतिशत राशि दिनांक 11.12.14 को तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद के कार्यालय के चालान अनुसार बैंक में जमा करा दी बाकि राशि 60 दिन के अन्दर -2 जमा कराने बारे आदेश दिये गये । परन्तु उपायुक्त फरीदाबाद द्वारा वह आदेश विद ड्रा कर लिया परन्तु उक्त कम्पनी दवारा चालान संख्या 571988873 दिनांक 11.12.14 के अनुसार यह राशि भारतीय स्टेट बैंक नीलम चौक फरीदाबाद मे जमा करा दी । जिस सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार बिक्री ने इस सम्बन्ध मे कोई कार्यवाही नही की ना ही उक्त राशि जो उक्त कम्पनी द्वारा बैंक में गलत तरीके से जमा कराई गई है । उसे वापिस लोटाने बारे उच्च अधिकारियो को लिखा ना ही इस सम्बन्ध मे लिगल राय लेकर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई । उपरोक्त हालातो अनुसार श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद ने अपने पद का दुरुउपयोग करते हुये उक्त कम्पनी के निदेशक श्री अजय गुप्ता को अनुसूचित लाभ पहुचाने की नियत से व अपने आप का अनुचित लाभ लेने की नियत से ऐसा किया है । जो श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद व श्री अजय गुप्ता निदेशक इण्डियन हार्डवेयर रिहायसी कालोनी हार्डवेयर चौक फरीदाबाद सपुत्र श्री श्रवण कुमार गुप्ता निवासी म0 न0ए/40 बसंतमार्ग,बसंत बिहार नई दिल्ली के विरुद 420,120बी भा.द.स. व 13 (1)डी. पी.सीएक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करनेका सुझाव दिया है । इसके अतिरिक्त श्री बिजेन्द्र राणा तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद द्वारा पत्र क्रमांक 154 दिनांक 17.02.14 आयुक्त नगर निगम प्लानिग शाखा फरीदाबाद को लिखा गया कि निदेशक श्री अजय गुप्ता आई.एच.आई कम्पनी के प्रार्थना पत्रअनुसार आई.एच.आई कम्पनी का हिस्सा रकबा 4586 वर्ग गज को नगर निगम फरीदाबाद को ले-आउट प्लान में इनकापोरेट कर दिया जावे । परन्तु इस सम्बन्ध मे पडताल के दौरान पाया गया कि यह प्रार्थना पत्र तहसील बिक्री कार्यालय मे श्री अजय गुप्ता निदेशक द्वारा नही दिया गया बल्कि आई.एच.आई कम्पनी के विहाफ पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत

किया गया था । परन्तु श्री बिजेन्द्र सिह राणा ने उक्त कम्पनी को फायदा पहुचाने कि नियत से यह भी जानने कीआवश्यकता नही समझी कि यह पत्र किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इस पत्र पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा यह पत्र आई.एच.आई कम्पनी के लेटर हैड पर भी नही लिखा हुआ था । फिर भी श्री बिजेन्द्र सिह राणा तहसीलदार बिक्री द्वारा उक्त कम्पनी से मिली भगत करके अपने पद का दुरुउपयोग करते हुये आयुक्त नगर प्लानिंग शाखा फरीदाबाद को पत्र लिखा गया । यह पत्र श्री अजय गुप्ता निदेशक आई. एच.आई कम्पनी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र का हवाला देकर तथ्यो को छुपाकर लिखा गया था । अतः श्री बिजेन्द्र राणा तहसीलदार बिक्री फरीदाबाद के विरुद धारा 13(1) डी पी सी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव दिया है । पडताल के दौरान यह भी पाया गया है कि श्री अजय गुप्ता के नाम से दिनांक 27.08.14 को आई.एच.आई कम्पनी की 4586 वर्ग गज भूमि के सब डिविजन (विभाजन) करने बारे नगर निगम फरीदाबाद के कार्यालय मे प्रार्थना पत्र दिया गया है । प्रार्थना पत्र के साथ श्री अजय गुप्ता का शपथ पत्र भी लगा हुआ है । परन्तु इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में श्री अजय गुप्ता निदेशक ने अपने कथन में अंकित कराया कि उसने सब डिविजन कराने बारे प्रार्थना पत्र नही दिया । प्रार्थना पर उसके फर्जी हस्ताक्षर है इसके अतिरिक्त जो प्रार्थना पत्र अजय गुप्ता के नाम से दिया गया था उस पत्र के साथ आई.एच आई कम्पनी की रजिस्ट्री न0 14714 दिनांक 21.01.14 की प्रति लगाई गई थी और इस रकबा को 8 टुकडो में विभाजन करने बारे साईट प्लान भी लगाया गया था जबकि दिनांक 27.08.14 यह प्रार्थना पत्र लगाया गया उस दिन उक्त भूमि की मालिक आई.एच.आई कम्पनी नही थी बल्कि श्रीमति सुमन वर्मा आदि कुल 9 व्यक्ति मालिक थे । इस सुरत में असल भू-स्वामी द्वारा ही सब डिविजन कराने के लिए आवेदन करना चाहिए था । इसके अतिरिक्त वसीका न0 14737 दिनांक 21.01.14 में 9 व्यक्तियो के नाम 6 टुकडे में अलग -2 रकबा अनुसार रजिस्ट्री पंजीकृत की गई है । लेकिन रजिस्ट्री में कोई वर्णन नही है कि किसका हिस्सा किस दिश में कहा पर स्थित है । किसका हिस्सा मैन रोड पर है तथा किसका हिस्सा पीछे है । उन हिस्सो की दिशाओ में किस -2 की सम्पति लगती है के सम्बन्ध कोई वर्णन नही था नगर निगम के कर्मचिरयो/अधिकारियो द्वारा सब डिविजन फिक्स करने से पहले स्थल के मालिकान हक से सम्बन्धित दस्तावेजो का अध्ययन नही किया गया और ना ही भू-स्वामी को बुलाया गया केवल प्रार्थना पत्र व उसके साथ सलग्नंन दस्तावेजो के आधार पर ही सब-डिविजन कर दिये । इसके अतिरिक्त यह भी सामने आया कि नगर निगम के कर्मचिरयो/अधिकारियो द्वारा सब –डिविजन करने के बाद आवेदन कर्ता को सूचित ही नही किया गया बल्कि आई.एच.आई कम्पनी के अधूरे पते पर सूचित किया गया है,जबकि प्रार्थना पत्र पर आवेदन कर्ता द्वारा अपना पता ही नही दर्शाया हुआ है,तो किस आधार पर आई.एच.आई कम्पनी के पते पर सूचित किया गया । जबकि पडताल के दौरान पुष्पेन्द्र वर्मा ने अपने ब्यान में माना है कि सब-डिविजन कराने बारे प्रार्थना पत्र उस द्वारा दिया गया था तथा उस पर उसके ही हस्ताक्षर थे लेकिन किसी ने बाद में छेड-छाड (टेम्परिंग) करके उसके हस्ताक्षर के निचे अजय गुप्ता लिखा गया है तथा उसने प्रार्थना पत्र पर अपना मोबाईल नम्बर लिखा था जो मोबाइल नम्बर में भी छेड-छाड (टेम्परिंग) की गई है । उपरोक्त हालात अनुसार स्पष्ट है कि (1) श्री जितेन्द्र सिह योजना सहायक ,(2) श्री आर.पी सिगला वरिष्ठ नगर योजनाकार (3) श्री सतीश पाराशर मुख्य नगर योजनाकार ने (4) श्रीमति सुमन वर्मा पत्नी श्री पुष्पेन्द्र वर्मा निवासी म0 न0 1687 सै0 28 फरीदाबाद (5) श्री पुष्पेन्द्र वर्मा सपुत्र श्री एस.आर वर्मा निवासी म0 न0 1687 सै0 28 फरीदाबाद (6) श्री प्रशांत शर्मा सपुत्र श्री डा0 एस.पी शर्मा निवासी म0 न0 ए/1 इन्द्रप्रस्थ कालोनी सोनीपत रोड रोहतक (7) श्री अशोक वर्मा सपुत्र साधुराम निवासी म0 न0 7 एल माडल टाउन रोहतक (8) श्री नितिन वर्मा सपुत्र श्री अशोक वर्मा निवासी म0 न0 7 एल माडल टाउन रोहतक ,(9) श्री विनोद बंसाली सपुत्र श्री पुखराज बंसाली निवासी म0 न0 डी-42 सै0 10 डी.एल.एफ फरीदाबाद (10) संजय बंसाली सपुत्र श्री पुखराज निवासी म0 न0 डी-42 सै0 10 डी.एल.एफ फरीदाबाद (11) अभय बंसाली सपुत्र पुखराज बंसाली निवासी म0 न0 डी-42 10 डी.एल.एफ फरीदाबाद (12) सु0 विनोद देवी सुपुत्री श्री चैनरुप कुण्डलिया निवासी म0 न0 1588 सै0 7 ई फरीदाबाद के साथ मिलीभगत करके साक्ष्यो को छुपा कर नियमो को ताक पर रख कर उक्त व्यक्तियो को अनुचित फायदा पहुचाने की नियत से व अपने आप को अनुचित लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने पद का दुरुउपयोग करके 8 सब डिविजन कर दिये जो उक्त सभी के विरुद धारा 420,467,468,471,120बी,भा.द.स. व 13 (1)डी पी.सी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया है तथा यह सब डिविजन उपरोक्त अधिकारियो /कर्मचारियो की रिपोर्ट अनुसार श्रीमति सुप्रभा दहिया भा.प्र.से, तकालीन आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मंजूर किये गये है उस सम्बन्ध में तफ्तीश के दौरान जैसी स्थिति सामने आती है । इस आधार पर दौराने तसीश देख लिये जाने का सुझाव दिया है । इसके अतिरिक्त सब- डिबिजन कराने बारे प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ अजय गुप्ता के नाम से लगाया हुआ है । उस

शपथ पत्र के बारे भी दौराने तफ्तीश देख लिया जावे कि इश शपथ पत्र पर अजय गुप्ता के हस्ताक्षर सही है अथवा फर्जी यदिफर्जी हस्ताक्षर पाये जाते है तो जिस नोटेरी/एडवोकेट द्वारा यह शपथ पत्र सत्यापित किया हुआ है के बारे भी दौराने तफ्तीश देख लिया जावे ,कि उस नोटेरी द्वारा अजय गुप्ता के नाम का शपथ पत्र बिना उसकी हाजरी के किस आधार पर सत्यापित किया गया । इसके अतिरिक्त पडताल के दौरान यह भी पाया गया कि सब डिविजन कराने बारे जो प्रार्थना पत्र पुष्पेन्द्र वर्मा द्वारा दिया गया था । उस प्रार्थना पत्र पर पुष्पेन्द्र वर्मा के हस्ताक्षर व उसके मोबाइल न0 जो अंकित किये हुये थे में छेड-छाड (टेम्परिंग) की हुई है तथा हस्ताक्षर के नीचे अजय गुप्ता लिखा हुआ है इसके अलावा एक अन्य फोटो स्टेट प्रार्थना पत्र जिस पर इंग्लिश में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये हुये भी पाया गया है जो CTP से लेकर HD तक Original pen से मार्क किया हुआ है । जिस सम्बन्ध में दौराने तफ्तीश देख लिया जावे कि यह छेड-छाड (टेम्परिंग) करने/कराने में किन-2 अधिकारियो/कर्मचारियो की संलिप्त है उसके विरुद भी दौराने तफ्तीश कार्यवाही अमल में लाने बारे सुझाव दिया है । पडताल के दौरान आम जनता से दबी जुबान से यह अवश्य सामने आया है कि श्री अशोक कुमार पी.ए.आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद व श्री जयप्रकाश हैड ड्राफटसमैन नगर निगम फरीदाबाद की शौहरत आम जनता में अच्छी नही है । और उक्त दोनो कर्मचारी नगर निगम के कार्यालय में कार्य कराने का ठेका/जिम्मेवारी अपने निजी लालच के लिए अपने स्तर पर ले लेते है । परन्तु इस बारे में कोई भी व्यक्ति लिखित रुप से देने को तैयार नही है । इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त मामले में सब-डिविजन कराने बारे जो दरखास्त दी गई थी । उस पर हस्ताक्षर मे जो छेड-छाड (टेम्परिंग) की गई है । उस बारे इन दोनो कर्मचारियो की संलिप्ता पाई जाये तो दौराने तफ्तीश देख लिये जाने बारे सुझाव दिया है । पडताल के दौरान पाया गया कि बारकबा 4586 वर्ग गज भूमि जो 9 व्यक्तियो द्वारा 6 टुकडो में खरीद की गई थी के नगर निगम फरीदाबाद द्वारा 8 सब डिविजन बनाने के पश्चात भू-स्वामी श्रीमति सुमन वर्मा ने डिविजन न0 3,4,5,6 व अभय बंसली ,विनोद देवी,विनोद बंसाली व संजय बंसाली द्वारा सब डिविजन न0 1 यानिकि कुल 5 भवन नक्शे स्वीकृती के लिए अलग-अलग 5 फाईले नगर निगम कार्यालय में जमा कराई गई थी । उक्त भवन का नक्शा पास करते समय सम्बन्धित अधिकारियो/कर्मचारियो ने भूमि के मालिकाना हक बारे सम्बन्धित दस्तावेजो की अवलोकन नही किया, क्योकि सब डिविजन जिस तिथि को किया गया था उस समय भी नक्शा पास कराने वाले भू- स्वामी ही उक्त भूमि के मालिक थे । परन्तु सब डिविजन आई.एच.आई कम्पनी की रजिस्ट्री अनुसार किये गये है । जो कि साक्ष्यो को नजर अंदाज करके अत्यधिक तत्परता दिखाते हुये नियमो को ताक पर रख कर व साक्ष्यो को छुपा कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये, 1. विनोद सिह सहायक अभियन्ता 2. दया किशन सोलकी कनिष्ठ अभियन्ता सर्वे ब्रांच 3. राजेश नदन हेड ड्राफटसमैन 4. सतीश अग्रवाल कार्यकारी अभियन्ता 5. जितेन्द्र सिह योजना सहायक योजना शाखा की सर्वे रिपोर्ट के पश्चात 6. श्री आर.पी सिगला वरिष्ठ नगर योजनाकार की टेक्नीक्ल रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 07.11.14 ने उक्त भू- स्वामियो से मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर भवन के नक्शे पास किये, जो उपरोक्त सभी के विरुद जुर्म जेर धारा 420,467,468,471,120बी भा.द.स व 13 (1) डी पी. सी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव दिया है । वसीका न0 14737 दिनांक 21.01.14 के अनुसार जिन 9 व्यक्तियो ने आई.एच.आई कम्पनी वर्गगज भूमि खरीद की गई थी । उस रकबा के कुल 8 सब डिविजन नगर निगम द्वारा बनाये गये थे । उसके पश्चात उक्त भू-स्वामियो द्वारा -5 रिहायसी भवन के नक्शे नगर परिषद फरीदाबाद से मंजूर करा लिये थे ।परन्तु श्रीमति सुमन वर्मा ने वसीका न0 15151 दिनांक 29.1.14 के अनुसार विनोद कुमार घीगडा को अपने कुल रकबा 2998.1 वर्ग गज मे से 152.5 वर्गगज भूमि व पुष्पेन्द्र वर्मा द्वारा वसीका न0 15152 दिनांक 29.1.14के अनुसार प्रवीण कुमार खेतरपाल पाल को अपने रकबा 378.33 मे से 76.66 वर्ग गज व श्रीमति सुमन वर्मा द्वारा वसीका न0 15154 दिनांक 29.1.14 के अनुसार इन्द्रजीत भाटिया को अपने रकबा 2998.1 वर्गगज मे से 152.5 वर्गगज व वसीका न0 18180 दिनांक 31.03.14 के अनुसार श्री सन्नी कपूर को 189.16 वर्ग गज व पुष्पेन्द्र वर्मा वसीका न0 1021 दिनांक 25.4.14 के अनुसार श्रीमति सीमा कपूर को 33.33 वर्ग गज भूमि व सुमन वर्मा द्वारा वसीका न0 1112 दिनांक 29.4.14 के अनुसार श्रीमति रीटा सिंदवाणी को 149.93 वर्ग गज भूमि व वसीका न0 1168 दिनांक 29.4.14 के अनुसार श्री पुनीत सिंगवाणी 149.93 वर्ग गज भूमि व वसीका न0 2797 दिनांक 11.6.14 के अनुसार श्रीमति इन्दुबाला को 189.33 वर्ग गज भूमि व वसीका न0 2822 दिनांक 11.6.14 के अनुसार श्री त्रिलोचन सिह को 139.16 वर्ग गज भूमि व पुष्पेन्द्र वर्मा द्वारा वसीका न0 5342 दिनांक 31.07.14 के अनुसार श्रीमति मीतू जिन्दल को 150.83 वर्ग गज भूमि व श्रीमति सुमन वर्मा द्वारा वसीका न0 16659 दिनांक 3.3.14 के अनुसार श्री अनीश बांगा को 152.5 वर्ग गज भूमि व पुष्पेन्द्र वर्मा द्वारा वसीका न0 2444 दिनांक 3.6.14 के अनुसार श्री गोतम जैन को 34.16 वर्ग गज भूमि व श्रीमति सुमन वर्मा द्वारा वसीका न0 10397

दिनांक 21.10.14 के अनुसार श्री अशोक कुमार जिन्दल को 189.16 वर्ग गज व वसीका न0 15975 दिनांक 18.02.14 के अनुसार श्री मनोज कुमार आदि को 258.22 वर्ग गज भूमि व वसीका न0 16043 दिनांक 18.01.14 के अनुसार श्री सी.के जैन आदि को 300 वर्ग गज व वसीका न0 16044 दिनांक 18.2.14 के अनुसार श्री कपिल चौपडा आदि को 152.2 वर्ग गज भूमि बेच दी । इन रजिस्ट्रयो मे से 3 रजिस्ट्रियां (16659,2444 व 10397) श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार द्वारा व 10 रजिस्ट्रयां (15151,15152,15254,18180,1021,1112,1168,2797,2822 व 5342) श्री वेद सिह नायब तहसीलदार तथा 3 रजिस्ट्रिया (15975,16043,व 16044) श्री बिजेन्द्र सिह राणा तहसीलदार द्वारा पंजीकृत की गई है । यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि उक्त भू- स्वामियो द्वारा आई.एच.आई कम्पनी से जो 4586 वर्ग गज भूमि वसीका न0 14737 दिनांक 21.01.14 के अनुसार 9 व्यक्तियो द्वारा 6 टुकडो में अलग-2 रकबा अनुसार खरीद की गई थी । उक्त वसीका मे यह वर्णन नही है कि उक्त 9 व्यक्तियो के 6 टुकडे उक्त रकबा के किस दिशा मे स्थित है तथा किसका हिस्सा आगे है या किसका हिस्सा पीछे है या किसका हिस्सा मैन रोड पर है या किस का हिस्सा पीछे है तथा ना ही उन टुकडो के चारो दिशाओ का कोई वर्णन किया हुआ है । कि इन टुकडो चारो दिशाओ मे किस-2 की सम्पति लगती है फिर भी उक्त तहसीलदारो/ना0 तहसीलदारो द्वारा वसीका न0 14737 दिनांक 21.01.14 में वर्णन इन्द्राजो को नजर अन्दाज करते हुये तथ्यो को छुपा कर उपरोक्त 16 रजिस्ट्रयां हरियाणा डवलपमैन्ट रैजूलेशन आफ अर्बन ऐरिया एक्ट 1975 के तहत जिला नगर योजनाकार से अनापत्ति पत्र लिये बगैर ही पंजीकृत कर दी, जबकि इन 16 रजिस्ट्रियां में प्लाट की लम्बाई चौडाई व इनकी चारो दिशाओ मे किस-2 की सम्पति लगती है का वर्णन भी किया हुआ है । फिर भी उक्त वसीकाए साक्ष्यो कर नियमो की अवहेलना करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुये भू-स्वामियो से मिलीभगत करके वसिकाएं पंजीकृत कर दी । उक्त रजिस्ट्रयां जो छोटे-छोटे टुकडो/दुकान साईज मे की गई है । इनमें व्यवसायिक गतिविधियां करने के लिए खरीद की जानी प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त जो उक्त 16 वसिकाए पंजीकृत की गई है । जिस सम्बन्ध उपायुक्त फरीदाबाद द्वारा पत्र क्रमांक 4068/आर.ए दिनांक 19.12.14 अतिरिक्त मुख्य सचिव एंव वितायुक्त हरियाणा सरकार राजस्व एंव आपदा प्रबन्धन चण्डीगढ को लिखा गया है । कि उक्त वसिकाए हरियाणा डवलमैन्ट एण्ड रैजुलेशन आप अर्बन ऐरिया एक्ट 1975 की धारा 7 ए के तहत जिला नगर योजनाकार की अनापत्ति पत्र के बिना पंजीकृत की गई है । इसके अतिरिक्त श्रीमति सुमन वर्मा व पुष्पेन्द्र वर्मा को इश केस की पूरी जानकारी थी, कि आई.एच.आई कम्पनी के नाम से जो दितीय रिविजन पैटिसन बारे श्री डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से आयुक्त मण्डल आयुक्त गुडगांव द्वारा श्री बलवान सिह नायब तहसीलदार सैल्स के फैसले को भी अपास्त किया जा चुका है और उन द्वारा विवादित स्थल के भवन के नक्शे भी पास कराये हुये है । फिर भी जानबूझ कर विवादित स्थल की खरीद फरोख्त के सम्बन्ध में 16 वसिकाए छोटे-2 टुकडो में पंजीकृत करा दी । इसके अतिरिक्त श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार द्वारा यह जानते हुये कि उपरोक्त मामले बारे डी.पी.एस नांगल भा.प्र.से द्वारा फैसले अपास्त किये जा चुके है,लेकिन फिर भी दिनांक 21.10.14 को वसीका न0 10397 पंजीकृत कर दी । उपरोक्त हालात अनुसार 1. श्री राजेन्द्र गर्ग तहसीलदार ,2. श्री बिजेन्द्र राणा तहसीलदार फरीदाबाद 3. वेद सिह नायब तहसीलदार फरीदाबाद ने 4. श्रीमति सुमन वर्मा श्री पुष्पेन्द्र वर्मा निवासी म0 न0 1687 सै0 28 फरीदाबाद ,5. पुष्पेन्द्र वर्मा सपुत्र श्री एस.आर वर्मा निवासी म0 न0 1687 सै0 28 फरीदाबाद के साथ मिलीभगत करके तथ्यो को छुपा कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये जुर्म जेर धारा 420,467,468,471,120बी भा.द.स व 13 (1) डी पी. सी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया । इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारियो/अधिकारियो व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाये तो उसे भी दौराने तप्तीश देख लिये जाने बारे सुझाव दिया गया है । जांच की पडताल उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट उपरोक्त अधिकारियो/कर्मचारियो व अजय गुप्ता निदेशक इण्डियन हार्डवेयर इड्रस्ट्रीज फरीदाबाद व उपरोक्त प्राईवेट व्यक्तियो के बिरुद मुकदमा उपरोक्त धाराओ के तहत दर्ज करने की सिफारिश की थी । जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग कार्यालय के यादि क्रमांक 62/113/2014-4 चौ (II) दिनांक 22.05.2019व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो ,हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 8979/आई0-2/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार जांच रिपोर्ट में दिये गये सुझाव अनुसार दोषियो के विरुद धारा 420,467,468,471,120बी भा.द.स व 13 (1) डी पी. सी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करने व तप्तीश के दौरान किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आये तो उसे भी तप्तीश के दौरान देख लिये जाने बारे आदेश प्राप्त हुये है । जो उपरोक्त अधिकारियो/कर्मचारियो /अजय गुप्ता निदेशक इण्डियन हार्डवेयर इड्रस्ट्रीज फरीदाबाद व उपरोक्त प्राईवेट व्यक्तियो के विरुद उपरोक्त धाराओ के तहत अभियोग अंकित किया जावे । इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी व प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्ता पाई जावे तो उसे भी तप्तीश के दौरान देख लिया जावे । तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 कर्मबीर न0 694/पलवल के अरसाल थाना है

। मुकदमा दर्ज करके नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे । स्पेशल रिपोर्ट डियूटी मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना देरी के भिजवाई जावे । मुकदमा हजा की आग्रामी तसीश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो ,फरीदाबाद के आदेशानुसार सुरेश कुमार निरीक्षक की सेवा में भिजवाई जावे । आमदा रिकार्ड साथ सलंग्न है । S.dबिजेन्द्र सिह(बिजेन्द्र सिह) निरिक्षक ,थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद दिनांक 22.08.2019 At. 2.00 PM अज थाना:- इस समय एक लिखित तहरीर बदस्त सिपाही कर्मवीर न0 694/पलवल के थाना पर प्राप्त हुई जो बर लिखित निरीक्षक बिजेन्द्र थाना राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद बर खिलाफ कर्मचारी/अधिकारी नगर निगम ,राजस्व विभाग व अन्य नगर निगम फरीदाबाद वावत तथ्यो को छुपाने अपने पद का दुरुउपयोग करके जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने व जमीन की ब्रिकी करने बारे प्राप्त होने पर मु0 न0 3 दिनांक 22.08.19. धारा 420,467,468,471,120-बी भा0द0स0 व 13 (1) डी.पी सी. एक्ट दर्ज रजि0 किया जाकर FIR कि प्रतिया कम्पूटर से तैयार कि गई । जो मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट कि श्रेणी मे आने पर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही चरणजीत न0387/मेवात के अफसरान बालान व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब कि सेवा में भेजी जा रही है । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आगामी कार्यावाही हेतू निरिक्षक सुरेश कुमार के हवाले की गई । नोट:- यह FIR इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की हाजरी मे दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Bijender singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PInsp **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUKHBIR SINGH

Rank (पद): DCP (Deputy Commissioner of Police)

No. (सं.): 123456

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.